केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2005 के अधिनियम संख्यांक–22 के रूप में अधिनियमित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (**अधिनियम**) की धारा–15 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार द्वारा गठित बिहार सूचना आयोग एक वैधानिक आयोग (Statutory Commission) है जो दिनांक–26.08.2006 से अस्तित्व में है।

बिहार सूचना आयोग द्वारा अधिनियम की धारा–18, धारा–19 (3) से 19 (10) तथा धारा–20(1) एवं धारा–20(2) सपठित बिहार सूचना का अधिकार नियमावली, 2006 (**नियमावली**) के प्रावधानो में वर्णित दायित्वों एवं कृत्यों का संपादन किया जाता है और उक्त अधिनियम/नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप अर्द्ध–न्यायिक मामलों (द्वितीय अपील/शिकायत आवेदनों) का निष्पादन किया जाता है।

बिहार सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं तीन राज्य सूचना आयुक्तों का पद सृजित एवं स्वीकृत है और वर्त्तमान में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं दो राज्य सूचना आयुक्त कार्यरत हैं।

आयोग के सचिवालय (प्रशासनिक) पक्ष के कृत्यों का प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के सामान्य अधीक्षण एवं निदेशन में सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मियों के सहयोग से किया जाता है।

सचिवालय पक्ष द्वारा मुख्यतः आयोग के पदाधिकारियों/कर्मियों के स्थापना एवं लेखा/लेखा–परीक्षण एवं कार्यालय प्रबंधन संबंधी कार्य किया जाता है।

आयोग के निबंधन पक्ष के कृत्यों का प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के सामान्य अधीक्षण एवं निदेशन में विधि पदाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों एवं कर्मियों के सहयोग से किया जाता है। निबंधन पक्ष के मुख्य दायित्वों में अधिनियम तथा नियमावली एवं बिहार सूचना आयोग (प्रबंधन) विनियमावली, 2007 में निहित प्रावधानों के अनुरूप संवीक्षा (Scrutiny) हेतु निर्धारित निदेशक सिद्वांतों (Guiding Principles) के अनुसार आयोग में दायर द्वितीय अपील/शिकायत आवेदनों की संवीक्षा करना, त्रुटिपूर्ण द्वितीय अपील/शिकायत आवेदनों में संवीक्षा के दौरान पाई गई त्रुटियों के निराकरण हेतु संबंधित आवेदकों को लिखित नोटिस के माध्यम से अवसर देना, त्रुटिरहित द्वितीय अपील/शिकायत आवेदनों पर नियमित वाद संख्या निबंधित करना, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अनुमोदित कार्यावंटन आदेश के अनुरूप नियमित वादों को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/संबंधित राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थापित करना, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अनुमोदित साप्ताहिक एवं दैनिक सुनवाई सूचियों (Weekly Cause Lists & Daily Cause Lists) का प्रकाशन करना एवं आयोग द्वारा पारित आदेशों का सभी संबंधित पक्षकारों को संसूचन (communication) करना सम्मिलित है।

बिहार सूचना आयोग का कार्यालय (बिहार की) राजधानी पटना के नेहरू मार्ग (बेली रोड) स्थित सूचना भवन के चौथे तल पर अवस्थित है।